

जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 माह के दौरान आईआरआईएल (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से बीएसएम कैनलाईज्ड का निर्यात करने के लिए इच्छुक भारतीय समुद्र तटीय रेत खनिज (बीएसएम) के उत्पादकों / विक्रेताओं के लिए दिनांक 21.8.2018 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 26/2015-2020, नई दिल्ली द्वारा
सूचना

**NOTICE TO INDIAN BEACH SAND MINERAL (BSM) PRODUCERS /SELLERS DESIROUS
OF EXPORT OF BSM CANALISED THROUGH IREL (INDIA) LIMITED VIDE DGFT
NOTIFICATION NO. 26/2015-2020, NEW DELHI DATED 21.8.2018 DURING THE MONTH OF
JANUARY , FEBRUARY AND MARCH 2021**

विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्यात और आयात की वस्तुएं 2018 के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के खंड 26 में समुद्र तट रेत खनिज (बीएसएम) की निर्यात नीति पर दिनांक: 21.8.2018 की अधिसूचना संख्या: 26 / 2015-2020, नई दिल्ली जारी की है ।

Directorate General of Foreign Trade, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India issued Notification no: 26/2015-2020, New Delhi dated: 21.8.2018 – on export policy on Beach Sand Minerals (BSM) in Chapter 26 of Schedule 2 of ITC(HS) classification of export and import items 2018.

समुद्र तट रेत खनिजों का निर्यात - इल्मेनाइट, रुटाइल, ल्यूकोक्सिन (एचएसएन 2614 0010, 2614 0020, 2614 0031, 2614 0039, 2614 0090 के तहत टाइटेनियम धारक खनिज), ज़िरकॉन (एचएसएन 2615), मोनाज़ाइट (एचएसएन 2612 1000, 2612 2000 के तहत), सिल्मेनाईट (एचएसएन 2508 5031, 2508 5032, 25085039 के तहत) और गार्नेट (एचएसएन 2513 2030), को उपरोक्त अधिसूचना के तहत स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के अधीन लाया गया है और इसे भारत सरकार का उपक्रम, मेसर्स आईआरआईएल इंडिया लिमिटेड (IREL) के माध्यम से कैनलाईज किया जाएगा। निर्यात नीति में कहीं भी अनुमत किए गए बीएसएम(BSM) को अब निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 26 के अनुक्रमांक 98 ए के तहत नीति के संदर्भ में विनियमित किया जाएगा।

Export of Beach Sand Minerals - Ilmenite, Rutile, Leucoxene (Titanium bearing minerals under HSN 2614 0010, 2614 0020, 2614 0031, 2614 0039, 2614 0090), Zircon (HSN 2615), Monazite

(under HSN 2612 1000, 2612 2000), Sillimanite (under HSN 2508 5031, 2508 5032, 25085039) and Garnet (HSN 2513 2030), vide the above notification have been brought under State Trading Enterprise and shall be canalised through M/s IREL (India) Limited (IREL), a Government of India Undertaking. BSM permitted anywhere in the export policy will now be regulated in terms of policy under Sl. No: 98A of Chapter 26 of Schedule 2 Export policy.

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार आईआरईएल के माध्यम से बीएसएम कॅनलाईज्ड के निर्यात के लिए इच्छुक भारतीय समुद्र तटीय रेत खनिज के उत्पादक / विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे आईआरएल को जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के महीने के लिए निम्नलिखित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करें :

Indian Beach Sand Mineral Producers / Sellers desirous of export of BSM canalized through IREL vide above referred notification are requested to submit the information in the following format for the month of January, February and March 2021 to IREL:

क्रम संख्या Sr No.	उत्पाद का नाम / Name of the product	विशेष विवरण Specification	मे.टन में मात्रा Quantity in MT
1			
2			

उपरोक्त जानकारी 5 दिसंबर 2020 तक इस वचनपत्र के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए कि वे विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य मंत्रालय, सरकार द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग- II, खंड -3, उप - धारा (ii) में प्रकाशित दिनांक 21.8.2018 की अधिसूचना संख्या 26 / 2015-2020 के अनुसार समुद्र तट खनिज (बीएसएम) की निर्यात नीति की एसओपी में उल्लिखित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

The aforesaid information should be submitted by 5th of December 2020 along with the undertaking that they shall submit all the documents as stipulated in the SOP towards export policy of Beach Sand Minerals (BSM) in terms of Notification No. 26/2015-2020 dated 21.8.2018 published by Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Ministry of Commerce, Govt. of India and published in the Gazette of India Extraordinary Part-II, Section-3, Sub - Section (ii).

उपरोक्त जानकारी इस मेल पर भेजी जाए canalising.bsm@irel.co.in

The above information shall be furnished to canalising.bsm@irel.co.in